राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 11364/2017</u>

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
नरेन्द्र कुमार सिंघल बैंक वाले पी.डब्यूल्डी. आफिस के सामने करौली , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं रजिस्ट्रार राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविधालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 05-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री राधेश्याम मल्होत्रा, अनुभाग अधिकारी, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 15-7-16 के द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा 2011 का संशोधित परिणाम पत्र दिनांक 17-12-14 से निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर को भेजा गया था से सम्बन्धित पत्रावली आदि के सम्बन्ध में 7 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 1-12-16 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 1-12-17 से पूर्व में ही सूचना प्रेषित कर दी गई थी। पुनः पत्र दिनांक 4-1-18 के साथ संलग्न कर अपीलार्थी को बिन्दुवार विनिश्चय/सूचना का प्रेषण किया गया।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 4-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को बिन्दुवार सूचना का प्रेषण किया जा चुका है।
7. अपीलार्थी ने प्रतिक्रिया दिनांक 13-1-18 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सूचना दिलवाई जावे तथा प्रत्यर्थी को दण्डित किया जावे।
8. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखादि से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना प्रदान की जा चुकी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना वही दी जा सकती है जो कि अभिलेख पर उपलब्ध है। अपीलार्थी की प्रतिक्रिया में उनकी परिवेदना अंकित है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के

तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी के परिवेदना के निराकरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

9. अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

10. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

11. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त